SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.) Case No...... Complaint or report madeon..... Name and address of the Complainant..... मान 510 राज कां 19 टार्स R10 अंबुल प्ररा Name, parentage, caste and address of accused The offence, complainant of, and date of, its alleged commission आरोप है कि दिनांक 30-10-17 मुकाम वया हाउन के पान देयां ने अपने आधिपत्य में .05 क्यार लीटर/पाव/बोतल द्वारी शराब विकथ/परिव्रहन हेतु रखी। ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। The plea of the accused and his examination (if any) अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

- 01. <u>अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि</u> 1915 की घारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
 - 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अंत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आवकारी अधि0 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
 - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविघ तक की संजा एवं रूपये ८७६० है। द्वीं में दिल्हा हिल्हा हिल्हा का साधारण कारावारा की संजा भुगतायी जावे।
 - 04 जप्तशुदा सम्पत्ति ७०००० ८००० । पाव/बोतल रियो शराब मूल्यहीन एवं गानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अविध पश्चात् नियमानुसार भारत्यहीं एवं गानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अविध पश्चात् नियमानुसार

(()